कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1180/2021 लटूर चन्द बैरवा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा श्री लटूर चन्द बैरवा के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम स्थगनादेश दिनांक 15.02.2021 को अपास्त करते हुए श्री लटूर चन्द को प्रशासनिक आवश्यकता में अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की छूट प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 01.07.2021 द्वारा श्री लटूर चन्द को विभागीय आदेश दिनांक 06.02.2021 की अनुपालना में स्थानान्तरित स्थान प्रेम देवी बैद्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा में कार्यग्रहण किये जाने के आदेश प्रदान किये गए थे।

श्री लटूर चन्द बैरवा द्वारा उक्त आदेश दिनांक 01.07.2021 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7067/2021 लटूर चन्द बैरवा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 12.07.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 01.07.2021 का क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री लटूर चन्द बैरवा को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन राउमावि गढ़ सिकराय जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर ऑनलाईन कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री नवल किशोर मीणा को आदेशित किया जाता है कि वे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प प्रस्तुत करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/लटूर चन्द/7067/2021/200 दिनांकः 20.07.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, दौसा/भीलवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)